1014 M.M.a.C. संक्षिप विचारण प्रांरभ किया गया। स्वीकार अपराध पूर्वक त उप्त स्वेच्छा अभियुक्त सहित अधिवक्ता दिनेश गुज प्रकरण अपराध विवरण हेतु नियत है। अभियुक्तं ने निवेदन किया कि वह राज्य द्वारा एडीपीओ। चाहता है।

गये और समझाये जाने पर अभियुक्त अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में अधीन अपराध की अभियुक्त के विरुद्ध धारा 113/194 (1) मोटरयान अधिनियम के विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये ने अपराध करना स्वेच्छ्या स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा सं मुकि मामला संक्षिप्त विचारणीय हैं। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 113/194 (1) मोटरयान लेखबद्ध किया गया।

अर्थदण्ड अवसान कारावास ति को ध्यान में रखते हुए मुद्रांकित कर घोषित किया न्यायालय अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय रे के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया। साधारण 4 स्वीकारोक्ति को दिवस दिनांकित, गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध तक की अवधि के दण्ड एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से के संदाय में व्यतिकम की दशा में अभियुक्त को 30 भुगताया जावे। क हस्ताक्षरित, त की स्वेच्छया अपराध टंकित कराकर हस्ताक्षी अभियुक्त निर्णय प्रथक से टी

प्रदान कर पावती ली जाये। निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को

आदेशों का पालन अवधि बाद सुपुर्दगीनामा अपील न्यायालय के अतः जप्तसुदा संपत्ति पूर्व से सुपुर्दगी पर है अत बंधनमुक्त हो, अपील की दशा में माननीय अपीलीय

जाये विहित प्रिषेत किया क्र पंजीबद्ध अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार 冲 सु प्रकरण का परिणाम आपराधिक

Judicial Magistrate Frist Class Gohad distt. Bhinda (M.P.) (A.K.Gupta) THE PARTY

पुनश्च:

पांच हजार व आभियुक्त 83. दी गर्ड। 图 45 अर्थदण्ड 00 रसीद अभियुक्त/अभियुक्तगण बुक कि नर्गयानुसार आभयुक्त दा की जिसकी पावती भुगताई गई। रूपये अदा की

प्रकरण उपरोक्त निदेश अनुसार संवित हो

Gohad distr. Bhind at M. Pip Judicial Magistrate First (A.K.Gupta THE STA

-Forms-

20